न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भूरा/2018/0472 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 47/अपील/2016—17.

....

सुरेश पुत्र भरोसी धाकड़
निवासी ग्राम कुम्हरैया तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी म0 प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1—कलियाबाई बेवा भरौसी लाल
2—विनोद 3—राजाराम
4—गुडड़ीबाई 5—रेखाबाई
पुत्र/पुत्रीगण भरोसी धाकड़
निवासीगण ग्राम कुम्हरैया तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी म0 प्र0

———अनावेदकगण

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदकगण एक पक्षीय है

....

आदेश
(आज दिनांक 31/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर भूमिस्वामी भरोसी के फौत होने पर कोलारस में भूमि सर्वे क्रमांक 304 रकवा 0.846 पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण चाहा गया तहसील न्यायालय के द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–6/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर दिनांक 29.6.15 को वारिसानों के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित किया गया। इस कार्यवाही से दुखित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 82/अपील/2014–15 पर दर्ज कर दिनांक 24.9.16 को आदेश पारित किया जाकर अपील स्वीकार की गई। इससे दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 47/अपील/2016–17 पर दर्ज की जाकर स्वीकार की गई जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा वसीयतनामा के रजिस्टर्ड होने व संपत्ति का स्वअर्जित होने के उपरांत पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि वसीयतकर्ता अपने स्वामित्व की स्वअर्जित संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को वसीयत या दान करने का अधिकार रखता है जब वह रजिस्टर्ड होती है तो स्वतः ही यह प्रमाणित होता है कि वह स्वस्थ्यचित्त व्यक्ति है, जो रजिस्टर्ड पंजीयन कार्यालय में जाकर शासकीय कर्मचारी के समक्ष मय गवाहन के वसीयत संपादित की गई। इस तथ्य को अनेदखा कर अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी लेख किया है कि वसीयत संपादित करते समय अपने परिवार के समस्त सदस्यों के हित के बारे में वसीयत में उल्लेख किया है जिसमें वसीयतकर्ता द्वारा स्पष्ट लिखा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे पुत्रों में कोई विवाद न हो इसलिये मैं अपने जीवनकाल में वसीयत संपादित कर रहा हूँ एवं मेरे दो

पुत्र राजाराम व विनोद है जिनको मैंने उनका हिस्सा पूर्व में ही दे दिया है और मेरी दो पुत्रियां हैं जिनकी शादी मय दान दहेज के विदा किया है। वह अपनी ससुराल में राजीखुशी से रहतीं हैं। अतः वसीयतकर्ता के अलावा अन्य कोई मेरी सेवा नहीं करता है, इसलिये में यह वसीयतनामा अपनी स्वेच्छा से अपने पुत्र सुरेश धाकड़ के हित में संपादित कर रहा हूँ जिसे अनदेखा कर पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। वसीयत संपादित करते समय विधिवत रजिस्टर्ड होनी चाहिये व गवाहों से प्रमाणित होनी चाहिये व परिवार के सदस्यों का उल्लेख होना चाहिये । इन सभी तथ्यों को वसीयतकर्ता द्वारा विधिवत पूर्ण किया जाकर वसीयत संपादित की गई है, जिसके उपरांत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगणों को लाभ पहुंचाने की मंशा से दस्तावेज व रिकार्ड को अवलोकन किये बगैर मनगढंत पूर्ण आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 2.1.18 निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन एवं अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम कोलारस में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 304 रकवा 0.846 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में मृतक भरौसी पुत्र चितरू धाकड़ के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी, जो मृतक भरौसी द्वारा देवीलाल कुशवाह निवासी कोलारस से क्रय की थी, जिसका रजिस्टर्ड पंजीयन क्रमांक 1712 दिनांक 4.10.2002 को हुआ है जिसकी छाया प्रति तहसीलदार कोलारस के प्रकरण में संलग्न है। इसी प्रकार वसीयतनामा उप पंजीयक कार्यालय कोलारस में पंजीयन कराया गया है जिसका पुस्तक क्रमांक– ए–3 ग्रंथ क्रमांक 28 पृष्ठ क्रमांक 17–18 दस्तावेज क्रमांक 42 दिनांक 12.9.14 को पंजीयन किया गया है जिस पर गवाहन करन सिंह पुत्र दयाचंद धाकड़ निवासी दीघोदी एवं द्वितीय गवाहान राजेश पुत्र श्री शंकर लाल धाकड़ निवासी केनवाया के हस्ताक्षर एवं फोटो चस्पा किये गये हैं उस पर उप पंजीयक कोलारस की सील लगी हुई है। पंजीकृत वसीयतनामे से अनावेदकगण दुखी थे तो उन्हें अपना स्वत्व सावित

करने सिविल में जाना चाहिये था। प्रकरण के अवलोकन से यह भी सिद्व होता है कि मृतक भरोसी द्वारा अपने जीवन काल में ही अपनी पत्नी एवं दोनों पुत्रों को पूर्व में ही हिस्सा दिया जा चुका था जिसके खसरा की प्रति तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 48 से 54 तक संलग्न हैं। यदि रजिस्टर्ड वसीयतनामा को एक भी साक्षी वसीयत को प्रमाणित करता है तो उसके कथन के आधार पर वसीयतनामा को संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता है जबकि इस वसीयतनामा को तो दो गवाहन द्वारा प्रमाणित किया गया है। **भूरा विरूद्व सीताराम 1981 (1) म0 प्र0 वीकली नोटस 207 का न्याय दृष्टांत है कि–म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा–110 जब किसी विल का रजिस्ट्रीकरण उसे लिखने वाले की मृत्यु के समय किया गया हो तब रजिस्ट्रीकरण प्रथम दृष्टि में बैद्य माना जायेगा क्यों कि यदि कोई संदेह होता तब उस विल का उप रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण ही नहीं करता।** अपर आयुक्त ग्वालियर द्वारा अपने आदेश में यह भी लेख किया गया है कि पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य के हक में वसीयत नहीं होगी जबकि मृतक भरोसी द्वारा अपनी पत्नी एवं दोनों पुत्रों को जीवनकाल में ही उनका हिस्सा दिया गया है, जिसकी खसरा की छाया प्रति तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न है, वसीयत अथवा व्यवस्थापत्र संपत्ति धारक स्वेच्छा से किसी को भी करने हेतु सामर्थ्यवान होता है। **टी0 ए0 साईराम बनाम टी0 एस0 रामाराव 2004 (2) स्केल 233 : 2004 (1) सु0 कोर्ट 900 ए0 आई0 आर0– 2004 सु0 कोर्ट 1619 के न्याय दृष्टांत है कि "इस बात का अवधारण किया जाना था कि प्रश्नगत संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है अथवा नहीं ? प्रश्नगत संपत्ति को संयुक्त परिवार के कर्ता ने उसके निजी व्यवसाय की आमदनी से अर्जित किया था ऐसी स्थिति में अर्जित संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति के रूप में होना नहीं कहा जा सकता।** विचाराधीन निगरानी में आये तथ्यों के अनुसार इसी प्रकार की स्थिति है कि वादित संपत्ति स्वअर्जित है जिसके कारण स्वअर्जित संपत्ति की वसीयत इच्छानुसार करने हेतु वसीयतकर्ता स्वतंत्र है। यही दृष्टिचूक आदेश दिनांक 2.1.18 में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग

ग्वालियर द्वारा की गई है, जिससे अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर का आदेश विधिसम्मत आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5—उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार कोलारस जिला शिवुपरी का प्रकरण कमांक 2/2014—15/अ—6 में पारित आदेश दिनांक 29.6.15 एवं अपर आयुक्त ग्वालियर का प्रकरण कमांक 47/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 2.1.2018 विधिसम्मत न होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी का प्रकरण कमांक 82/अपील/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 24.9.16 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर